

अचल सम्पत्ति की विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। सर्व-साधारण को और विशेष रूप से ऋणी/जमानतदार को विशेषतः यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक ऑफ़ इंडिया/प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का अधिग्रहण सांकेतिक रूप से बैंक ऑफ़ इंडिया- प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को “जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है” के आधार पर नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित ऋणी/जमानतदार से बैंक ऑफ़ इंडिया प्रतिभूत लेनदार की बकाया ऋण राशि की वसूली हेतु दिनांक 09.10.2026 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, अग्रिम राशि धरोहर राशि संबंधित सम्पत्ति के आगे नीचे दी गई तालिका में वर्णित है। धरोहर राशि जमा कराने की तिथि 06.10.2026 प्रातः 10.00 बजे से अंतिम तिथि 09.10.2026 सायं 5.00 बजे तक है।

शाखा कार्यालय	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(ए) 13(2) नोटिस की दिनांक	आरक्षित मूल्य (रूपये में)	ई-नीलामी की दिनांक व समय	प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात भार का विवरण
		(बी) बकाया ऋण राशि दिनांक तक			
		(सी) कब्जा दिनांक	धरोहर राशि		
		(डी) कब्जे का प्रतीक प्रतिकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	बोली वृद्धि राशि		
जोधपुर शाखा सम्पर्क: 9829926485	श्री ललित कुमार पुत्र दयाशंकर राठौड़ की साम्यिक बंधक आवासीय संपत्ति जो प्लॉट नं. 23, खसरा नं. 136, ग्राम - पाल, जोधपुर में स्थित है। बंधक संपत्ति का क्षेत्रफल: 191.66 वर्गज। सीमाएं:- उत्तर में : प्लॉट नं. 52 और 53, दक्षिण में : 30 फीट रोड, पूर्व में : प्लॉट नं. 22, पश्चिम में : प्लॉट नं. 24	(ए) 29.10.2025	रूपये 31,75,500/-	09.10.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक	ज्ञात नहीं
(बी) रूपये 24,13,853.80 (28.10.2025 तक अनुबंधनात्मक बकाया) + आगे का ब्याज व प्रभार		रूपये 3,17,550/-			
(सी) 17.02.2026		रूपये 10,000/-			
श्री ललित कुमार पुत्र दयाशंकर राठौड़; मेहता मार्केट, चित्रा सिनेमा, नया बास, डांडिया का चौक, जोधपुर एवं प्लॉट नं. 23, खसरा नं. 136, ग्राम - पाल, जोधपुर।		(डी) सांकेतिक कब्जा	निरीक्षण की दिनांक: 05.10.2026		

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म (पीएसबी एलायंस) की वेबसाइट अर्थात् (1) <https://baanknet.com> (2) www.bankofindia.bank.in पर देखें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अधीन विक्रय की 30 दिवस की वैधानिक सूचना एतद्वारा ऋणी/जमानतियों एवं बंधककर्ता को नीलामी तिथि से पूर्व उक्त वर्णित बकाया राशि मय ब्याज एवं खर्चों को भुगतान करने हेतु नोटिस दिया जाता है जिसके अभाव में उक्त सम्पत्ति बकाया राशि की वसूली हेतु विक्रय कर दी जावेगी तथा बकाया राशि मय ब्याज व खर्चों के वसूल की जावेगी।

दिनांक: 08/09/2026

स्थान:- जोधपुर

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ़ इंडिया